254

संख्याः–1673/XIV-1/14–5(6)/2013

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी (ऊधमसिंह नगर व हरिद्वार को छोड़कर),
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 12, मार्च, 2014

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये सहकारिता विभाग के आयोजनागत पक्ष में जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत अनुपूरक बजट की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्र संख्याः–3595/नियो0/जिला योजना/2013–14 दिनांक 24 सितम्बर, 2013 व पत्र संख्या–5338/नियो0/जि0यो0/2013–14 दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 तथा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्याः–284/XXVII (1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013, आदेश संख्या–329/XXVII (1)/2013 दिनांक 15 अप्रैल, 2013, प्रथम अनपूरक अनुदानों की स्वीकृति सम्बन्धी आदेश संख्या–668/XXVII (1)/2013 दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 व पूर्व स्वीकृति आदेश संख्या–1307/XIV-1/2013 दिनांक 16 सितम्बर, 2013 तथा 735/XIV-1/2013 दिनांक 16 मई, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 की प्रथम अनुपूरक मांग में सहकारिता विभाग के आयोजनागत पक्ष के अर्न्तगत जिला योजना (सामान्य) हेतु प्राविधानित **₹79,43,000/–(रूपये उन्यासी लाख तैंतालीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।

(2) सभी कार्यक्रमों के वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण धनराशि के आहरण से पूर्व किया जाय तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों से वित्त व नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(3) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नही है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो इसके लिये सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त धनराशि के योजनावार मासिक व्यय का विवरण प्रत्येक माह या उसके अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 प्रपत्र पर नियमित रूप से वित्त विभाग, शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(5) उक्त धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार उत्तराखण्ड को उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) समितियों को अनुदान/राज सहायता/अंशदान दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित नियमों, मानकों/शासनादेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः

(8) सम्बन्धित जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त धनराशि के कोषागार से आहरण के पूर्व विभागाध्यक्ष तथा शासन को गत वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं।

2– उक्त धनराशि को व्यय किए जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0– 284/XXVII (1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। यह शासनादेश वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित किए गए अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

3– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–18 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–107–क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, 108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत **संलग्नक** की ग,घ एवं ङ की पंक्तियों में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

4– ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–170(**P**)/**XXVII-4**/2014 दिनांक 06 मार्च, 2014 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
सचिव।

संख्याः– 1673 (1)/**XIV**–1/2014,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त–4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त कुमायूं/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला सहायक निबन्धक (हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
6. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. प्रभारी एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–1673/XIV-1/13–5(6)/2013 दिनांक मार्च, 2014 का संलग्नक–

वित्तीय वर्ष 2013–14 में जिला योजना (सामान्य) हेतु अनुपूरक बजट में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जनपदों को लेखाशीर्षकवार धनराशियों के आवंटन का विवरण–

(धनराशि हजार रूपये में)

कम सं0	जनपद का नाम	2425–सहकारिता आयोजनागत 00–107–केडिट सह0 समितियों को सहायता 91–सहकारी ऋण योजना, 01–पैक्स के सचिवों के वेतन हेतु कामन कैडर अनुदान, 20–सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता	2425–सहकारिता आयोजनागत 00–108 अन्य सहकारी समितियोंको सहायता 03–सहकारी विभाग की सहकारी उपभोक्ता समितियों को सहायता 00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	2425–सहकारिता आयोजनागत 00– 800–अन्य व्यय, 00–21–सहकारी कय–विकय योजनान्तर्गत सह0 समितियों को वित्तीय सहायता, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	योग
क	ख	ग	घ	ङ	
1.	नैनीताल	179	0	200	379
2.	अल्मोड़ा	702	75	0	777
3.	बागेश्वर	247	0	0	247
4.	पिथौरागढ़	428	0	2500	2928
5.	चम्पावत	412	0	0	412
6.	देहरादून	487	0	0	487
7.	पौड़ी	878	0	0	878
8.	टिहरी	383	0	0	383
9.	चमोली	268	0	0	268
10.	रूद्रप्रयाग	395	118	0	513
11.	उत्तरकाशी	671	0	0	671
	योग	5050	193	2700	7943

(मंजुल कुमार जोशी)
सचिव।